(131)

समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्ड़ल, ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व निगरानी R-1570-PBR/12

राजस्व निगरानी क्र. /2012

संस्थित दिनांक: 08-05-2012

1. गोवर्धन पिता कुंजी
2. मयाराम पिता कुंजी
3. रेवाराम पिता कुंजी
4. दयाराम पिता कुंजी

सभी जाति गवली, सभी निवासी– खालवा, तहसील खालवा, जिला खण्ड़वा।

क्रमांक R.D. 790 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ____ को प्राप्त 17-5-12

---- प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. चंदरसिंह पिता कुंजी उम्र–75 साल जाति गवली निवासी– गुलरढ़ना तहसील खांलवा जिला खण्ड़वा।

---- प्रत्यर्थी

राजस्व निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं 1959 (एक्ट नम्बर 42 ऑफ 2011) दिनांक 27.12.2011 से प्रभावित। विरूद्ध आदेश टीप में पारित आदेश दिनांक 21.02.2012 पारित अन्तर्गत राजस्व प्रकरण कमांक 16–अ/6 वर्ष 2010–2011 ग्राम गुलरढ़ाना, तहसील खालिवा, जिला खण्ड़वा द्वारा श्री अनुविभागीय अधिकारी, हरसूद।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (गोवर्धनसिंह / चन्दरसिंह)

प्रकरण कमांक निगरानी 1570–पीबीआर / 2012 जिला–खण्डवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.02.2018	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 15–12–2015 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 20–2–2018 तक नियत होता रहा, किन्तु दिनांक 15–12–15 से 20–02–18 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर व आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे । वहीं सुनवाई दिनांक 20–02–2018 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 2012 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । अध्यक्ष	